निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 551) पटना, शुक्रवार, 29 मई 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
27 मई 2026

सं० जी/विविध–20–20/2026–5698—चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि लोक व्यवस्था बनाये रखने और विध्वंसक कार्यों को रोकने तथा दबाने के प्रयोजनार्थ निम्न अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में अनधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु विशेष प्रावधान अधिसूचित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए, अब, **बिहार संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1, 1979)** की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल **इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के RCP Cum SV स्टेशन, ग्राम–गिद्धा, थाना+अंचल–हलसी, जिला–लखीसराय, बिहार,** जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित है, को तुरंत प्रभाव से **संरक्षित स्थान** घोषित करते हैं।

अनुसूची

अनुसूची क्रम सं0	खाता तथा खेसरा सं0		ग्राम एवं जिला	मौजा	थाना संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहदी	
	खाता संख्या	खेसरा संख्या						
1	03	857	ग्राम–गिद्धा जिला–लखीसराय	गिद्धा	171/हलसी	30.33 डी0	पूर्व	बसंत तांती
							पश्चिम	रेखा देवी
							उत्तर	राजकुमारी देवी
							दक्षिण	खेसरा नं0–857, नाला, बादहू सड़क

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
क्षत्रनील सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

27 मई 2026

सं० जी/विविध–20–20/2026–5698 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
क्षत्रनील सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

The 27th May 2026

No. जी/विविध–20–20/2026–5698—Whereas the Governor of Bihar is satisfied that it is necessary and expedient to notify special provision to prevent entry of unauthorized person/persons into the areas mentioned in the schedule below for the purpose of maintaining public order and preventing and supressing destructive acts;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Subsection-(i) of Section-3 of **Bihar Protected Places Act, 1979 (Bihar Act 1, 1979),** the Governor of Bihar is pleased to declare RCP Cum SV Station of Indian Oil Corporation Limited, Village-Gidhha, Thana+Anchal-Halsi, District-Lakhisarai, Bihar as **Protected Place** with immediate effect, description of which are mentioned in the following Schedule:-

Schedule

S.L. No.	Khata and Plot No.		Village and District	Mauja	Thana	Area (In Acre)	Boundary	
	Khata No.	Plot No.						
1	03	857	Vill-Gidhha, Dist- Lakhisarai	Gidhha	171/Halsi	30.33 Deci	East	Basant Tanti
							West	Rekha Devi
							North	Rajkumari Devi
							South	Plot No.-857, Drainage, Badahu Road

By order of the Governor of Bihar,
KSHATRANIL SINGH,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 551-571+50-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in